

अध्याय-4

परियोजना क्रियान्वयन

4.1 प्रस्तावना

ट्रांसमिशन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए ठेके सौंपने में विभिन्न कारकों- किये जाने वाले कार्य के अंतिम कायर्क्षेत्र का निर्धारण न करना, अपर्याप्त अनुभव, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता आदि अनिश्चितता के कारण अत्यधिक का सामना किया जिसके कारण परियोजना लागत और जोखिम में वृद्धि हुई। इसने बोली-पूर्व मानदंड उपयुक्त रूप से निर्धारित करना और इस मानदंड के प्रति बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत की गई बोलियों का पूर्णतः निर्धारण करना कंपनी के लिए आवश्यक बना दिया क्योंकि बहुत सारे भागीदार अति महत्वाकांशी और अलाभकारी बोली प्रस्तुत करते हैं और बाद में, या तो कार्य में विलंब होता है या कार्य रूक जाता है जिसके परिणामस्वरूप ट्रांसमिशन लाईनों में विलंब होता है।

पीजीसीआईएल ने कार्य और अधिप्राप्ति नीति तथा प्रक्रिया (अधिप्राप्ति नीति) सितंबर 2001 विकसित की थी जिसे बाद में सौंपने से पहले और सौंपने के बाद के चरणों के दौरान प्रणाली और प्रक्रियाओं का मानकीकरण करने के लिए नवंबर 2016 में संशोधित किया गया।

लेखापरीक्षा ने कार्पोरेट कार्यालय में प्रदत्त लेखापरीक्षा के लिए चयनित 18 परियोजनाओं से संबंधित 120 संविदाओं से संबंधित अधिप्राप्ति नीति, पूर्व बोली, बोली का मूल्यांकन और क्रियान्वयन गतिविधियों में परिवर्तन की जांच की तथा सौंपे जाने से पूर्व चरण के संबंध में अग्रलिखित का अवलोकन किया जिसे दो गतिविधियों अर्थात् पूर्व-बोली गतिविधियों और पश्च-बोली गतिविधियों के अंतर्गत कवर किया गया है।

4.2 वन्य मंजूरी


विद्युत् अधिनियम, 2003 टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत अनुज्ञप्तिधारक को मार्गस्थ अधिकार (आरओडबल्यू) प्रदान करता है। 2011 में सीईए ने अनुमान लगाया कि 120 प्रेषण परियोजनाओं में से 23 ने आरओडबल्यू प्राप्त करने या भूमि अधिग्रहित करने तथा विभिन्न पणधारको जैसे वन विभाग, विमानन विभाग, रक्षा तथा विद्युत् एवं दूरसंचार समन्वय समिति से समय पर अनुमति प्राप्त करने में प्रोत्साहक की असमर्थता के कारण विलम्ब का सामना किया। लेखापरीक्षा ने पीजीसीआईएल द्वारा निष्पादित प्रेषण लाईनों हेतु वन्य मंजूरी के सम्बन्ध में निम्नलिखित कमियाँ भी पाई।

4.2.1 लागत अनुमान तैयार करने से पहले वन भूभागों का विस्तृत सर्वेक्षण न किया जाना

पीजीसीआईएल की डबल्यूपीपीपी में बीओक्यू तथा एनआईटी लागत अनुमानों के तैयार करने से पहले वन भूभागों तथा नदी के बहाव स्थल का विस्तृत सर्वेक्षण किया जाना आवश्यक है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि कंपनी को वन भूमि की तबदीली का सामना करना पड़ा क्योंकि सभी 18 चयनित परियोजनाओं में बीओक्यू तथा एनआईटी लागत अनुमानों के समय पर पीजीसीआईएल डबल्यूपीपीपी के अनुसार वन भूभागों का विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया गया था। परियोजनाओं में निवेश अनुमोदन (जिसमें बीओक्यू तथा लागत अनुमान अनुमोदित किये गए थे) के अनुसार स्वीकृत क्षेत्रफल आकलन की तुलना में वास्तविक वन क्षेत्रफल 25.30 प्रतिशत से 85.37 प्रतिशत तक कम पाया गया था, जबकि छह परियोजनाओं में वास्तविक वन क्षेत्रफल आकलित क्षेत्रफल से 27.01 प्रतिशत से 542.04 प्रतिशत तक ज्यादा पाया गया था। एक³⁴ परियोजना में जहाँ निवेश अनुमोदन के समय 45.17 हेक्टेयर वन भूभाग का आकलन किया गया था, तथापि परियोजना हेतु वास्तविक सर्वेक्षण के दौरान कोई वन भूभाग नहीं पाया गया। वास्तव में पाए गए वन क्षेत्रफल की तुलना में आकलित वन क्षेत्रफल में विभिन्नता दो मामलों में 20 से 30 प्रतिशत के बीच थी जबकि 15 परियोजनाओं में यह 30 प्रतिशत से अधिक थी जैसा कि निम्नलिखित चार्ट में दर्शाया गया है।

निवेश अनुमोदन के अनुसार वन क्षेत्रफल की तुलना में वास्तविक वन क्षेत्रफल हेक्टेयर विभिन्नता प्रतिशत



³⁴ कृष्णापट्टनम यूएमपीपी भाग ख परियोजना हेतु प्रेषण प्रणाली

लेखापरीक्षा ने देखा कि कंपनी द्वारा शुरुआत में प्रस्तुत किए गए वन क्षेत्रफल आकलन वन क्षेत्र के पुनः संरेखण के कारणवश दोबारा प्रस्तुत करना पड़ा था। लेखापरीक्षा ने वन क्षेत्रफल में तबदीली के कारणों का और अधिक विश्लेषण किया और देखा कि यह पुनः संरेखण वास्तविक वन क्षेत्रफल के आकलन में त्रुटियों, सत्यापन के बाद क्षेत्र में बदलाव इत्यादि विभिन्न कारणों से हुआ था जैसा कि **अनुबंध-3** में वर्णन किया गया है।

परियोजना के वन क्षेत्रफल में बदलाव के कारण, परियोजनाओं की लाईनों की लम्बाई में भी बढ़ोतरी/ घटोतरी हुई। 18 चयनित परियोजनाओं में, 71 प्रेषण लाईनों की वास्तविक लम्बाई निवेश प्रस्ताव में वर्णित परियोजना लाईन की लम्बाई से विभिन्न थी। 40 प्रेषण लाईनों में वास्तविक लम्बाई कम थी जबकि 31 प्रेषण लाईनों में वास्तविक निष्पादित लम्बाई ज्यादा थी। निवेश अनुमोदन लम्बाई की तुलना में निष्पादित लम्बाई का अंतर 28 मामलों में 10 प्रतिशत से कम, 14 मामलों में 10-20 प्रतिशत के बीच, 9 मामलों में 20-30 प्रतिशत के बीच और 20 मामलों में 30 प्रतिशत से ज्यादा था।

अतः वन क्षेत्रफलों तथा परियोजना की लाईनों की लंबाई में बदलाव के कारण, मात्रात्मक विभिन्नता थी जिसके परिणामस्वरूप 12 परियोजनाओं में (-)₹174.62 करोड़ से लेकर ₹266.91 करोड़ तक की लागत विभिन्नता हुई जिसके लिए संशोधित लागत अनुमान अनुमोदित किए गए। पीजीसीआईएल को मात्रात्मक विभिन्नता के चलते ₹118.31 करोड़³⁵ की अतिरिक्त लागत वहन करनी पड़ी।

प्रबंधन ने कहा (जनवरी 2019) कि:

- (i) यह स्वीकार किया जाता है कि पहले से ही विस्तृत वन सर्वेक्षण करने से वन्य संजरी प्रक्रिया में तेज़ी आती है।
- (ii) ज्यादातर मामलों में (एफआर) में इंगित लाईन की लंबाई पैदल सर्वेक्षण के आधार पर अस्थायी रूप से तय की गई थी। परंतु वास्तविक निष्पादन के समय, लाईन की लंबाई में लाईन के विस्तृत सर्वेक्षण के आधार पर बदलाव आया।

प्रबंधन का उत्तर इस लेखपरीक्षा टिप्पणी की पुष्टि करता है कि वन भूभागों तथा नदी के बहाव का उनकी खुद की डब्ल्यूपीपीपी मे अधिदेशित बीओक्यू तथा एनआईटी लागत अनुमान तैयार करने से पहले सर्वेक्षण किए जाने के अधिदेश के

³⁵ ₹669.97 करोड़ अतिरिक्त लागत में से ₹551.66 करोड़ बचत घटाकर

अनुसार सर्वेक्षण नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप वन क्षेत्रफलों/ लाइनों की लंबाई/ मात्र इत्यादी में विभिन्नताएँ हुईं।

मंत्रालय ने कहा (जून 2019) कि कठिनाईयों के कारण बीओक्यू तैयार करने से पहले विस्तृत सर्वेक्षण किया जाना शायद व्यवहार्य न हो। तथापि, पीजीसीआईएल डब्ल्यूपीपीपी के प्रावधानों का संशोधन कर रहा है।

मन्त्रालय के उत्तर को इस तथ्य के प्रति देखा जाना है की वन्य मंजूरी में विलम्ब प्रेषण लाइनों के कार्यान्वयन में देरी के प्रमुख कारणों में से एक था। यह तथ्य 11वीं योजना के कार्यान्वयन में चुनौतियों पर चर्चा करते समय एनईपी 2012 ने भी उजागर किया था।

अतः प्रेषण परियोजनाओं की समय पर कार्यपूर्ति हेतु संविदा प्रदान किये जाने के बाद वन भूभागों के सर्वेक्षण की प्रथा की समीक्षा किये जाने की आवश्यकता है।

4.2.2 वन प्राधिकारी को वन प्रस्ताव प्रस्तुतिकरण में विलंब

वन क्षेत्र में सर्वेक्षण हेतु अग्रिम कार्रवाई से वन क्षेत्र को चिन्हित करने में लगने वाले समय की काफी बचत होती है और निवेश अनुमोदन के बाद विहित समयसीमा के भीतर प्रस्तुतिकरण हेतु वन प्रस्ताव तैयार करने में सहायता मिलती हैं।

आरंभ में, पीजीसीआईएल ने संबंधित परियोजनाओं के निवेश अनुमोदन के बाद वन्य मंजूरी हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के लिए कोई समयसीमाएँ नहीं तय की थीं। किंतु भारत के सीएजी के 2014 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 18 के अनुपालन में, पीजीसीआईएल ने (अगस्त 2014) वन्य प्रस्तावों के प्रस्तुतिकरण हेतु लक्षित समय सीमा, अर्थात् निवेश अनुमोदन के तीन महिनों के भीतर, तय कर दी थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि जिन तीन परियोजनाओं हेतु अगस्त 2014 के बाद निवेश अनुमोदन प्रदान किया था, उनमें वन्य मंजूरी के लिए सबसे पहले प्रस्तुत किए गए आवेदन तीन से आठ महीने के विलंब के साथ प्रस्तुत किए गए थे। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि उन 17 परियोजनाओं³⁶ जिनमें वन भूभाग का कुछ अंश शामिल था, में से बकाया पड़ी 11 परियोजनाओं में प्रबंधन ने वन्य मंजूरी हेतु शुरुआती आवेदन प्रस्तुत करने में दो से 39 महीने तक का समय लिया था।

³⁶ एक परियोजना कृष्णापट्टनम यूएमपीपी भाग ख हेतु प्रेषण प्रणाली में कोई वन भूभाग शामिल नहीं था

प्रबंधन/ मंत्रालय ने कहा (जनवरी 2019 व जून 2019) कि:

(i) वन क्षेत्रों की पहचान करने और वन भूभागों का विस्तृत सर्वेक्षण पूर्ण कर लेने के बाद भी, कई अन्य प्रारंभिक पहलू जैसे कि राजस्व विभाग के साथ भूमि अधिग्रहण करना, अन्य राज्य प्राधिकारियों, पीडब्ल्यूडी, सिचाई विभाग, जिलाधीश से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करना, लागत लाभ विश्लेषण भी आवश्यक हैं और इन गतिविधियों को पूर्ण करने में प्रायः बहुत समय लगता है।

(ii) वन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की प्रक्रिया 15 अगस्त 2014 से ऑनलाईन कर दी गई थी, और ऑनलाईन पोर्टल में पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) द्वारा जारी वन (संरक्षण) नियम, 2003 में विनिर्दिष्ट सूचना से अधिक विस्तृत जानकारी डालनी पड़ती है।

प्रबंधन/ मंत्रालय के उत्तर को निम्नलिखित तथ्यों के आलोक में देखा जाना है कि:-

(i) पीजीसीआईएल ने स्वयं निवेश अनुमोदन के तीन महीने के भीतर वन प्रस्तावों के प्रस्तुतिकरण की लक्षित समयसीमा तय की थी, और इसलिए वन प्रस्तावों से संबंधित सभी गतिविधियाँ इस समय सीमा के भीतर पूरी कर लेने की आवश्यकता है।

(ii) वन प्रस्तावों के प्रस्तुतिकरण हेतु तीन महीने की समयसीमा कंपनी द्वारा 28 अगस्त 2014 अर्थात् वन आवेदन के लिए ऑनलाईन आवेदन प्रणाली शुरू होने के बाद प्रभावी की गई थी। इसलिए इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि पीजीसीआईएल ऑनलाईन वेब पोर्टल पर भी वन प्रस्तावों के प्रस्तुतिकरण से संबंधित सभी औपचारिकताएँ पूरी करने के लिए निवेश अनुमोदन की तिथि से तीन महीने की अवधि को पर्याप्त मानती थी।

लेखापरीक्षा ने आगे यह भी देखा कि पीजीसीआईएल द्वारा वन्य मंजूरी प्रस्ताव प्रस्तुतिकरण के बाद वन क्षेत्र का पुर्निधारण करने, आरंभिक वन प्रस्ताव करने के समय संबंधित दस्तावेज़ प्रस्तुत न करने के कारण वन प्रस्ताव का पुनः प्रस्तुतिकरण और वन प्राधिकारी को वन प्रस्ताव प्रस्तुत करने में विलंब के कारण वन्य मंजूरी विलंबित हुई थीं। कुछ संगत उदाहरणों पर नीचे विस्तारपूर्वक चर्चा की गई है।

4.2.3 आरंभिक वन प्रस्ताव के समय संबंधित दस्तावेज़ प्रस्तुत न किए जाने के कारण वन प्रस्ताव का पुनः प्रस्तुतिकरण

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वन भूमि को अन्य कामों हेतु उपयोग में लाने के लिए प्रयुक्त करने के प्रस्ताव हेतु आवश्यक दस्तावेजों/ सूचना

की चेकलिस्ट के अनुसार, वन प्रस्ताव हेतु आवेदन प्रस्तुत करते समय विभिन्न दस्तावेज³⁷ अनिवार्यतः प्रस्तुत किए जाने थे।

किंतु लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के अनुसार, यह देखा गया कि 18 चयनित प्रेषण परियोजनाओं में से आठ से संबंधित वन प्रस्ताव विहित दस्तावेजों के गैर प्रस्तुतिकरण, और अन्य कमियाँ जैसे प्रस्तुत प्रस्तावों में अपूर्ण जानकारी/ गलतियाँ/ कमियाँ इत्यादि अन्य कमियों के कारण वन प्राधिकारियों द्वारा कई बार पीजीसीआईएल को वापस लौटा दिए गए थे। इससे वन्य मंजूरी प्रक्रिया और संबंधित प्रेषण परियोजना के समग्र कार्यान्वयन में अनावश्यक विलंब हुए।

प्रबंधन ने कहा (जनवरी 2019) कि ऑनलाइन पोर्टल पर प्रस्तुतिकरण के लिए दस्तावेजों के संकलन में बहुत समय लगता है और दस्तावेजों में अपूर्ण जानकारी/ दस्तावेज न होने के मामलों में, प्रस्ताव नोडल अधिकारियों को वापस भेजे जा रहे हैं। आगे यह भी कहा गया कि कई मामलों में, वन भूमि पर खेती हेतु अतिक्रमण किए जाने के कारण पुनः प्रस्तुतिकरण आवश्यक हो जाता है और यह मामला संयुक्त सत्यापन के दौरान ही प्रकाश में आता है। मंत्रालय ने आगे कहा (जुलाई 2019) कि ऑनलाइन प्रणाली के शुरू किए जाने के बाद, विभिन्न राज्यों ने अपनी खुद की चेकलिस्ट को अंतिम रूप दिया है जिनमें एमओईएफ चेकलिस्ट से ज्यादा मात्रा में राज्य आधारित आवश्यकताएँ भी शामिल हैं। नोडल अधिकारी सिंचाई विभाग, पीडब्ल्यूडी इत्यादि विभागों से अनापत्ति प्रमाणपत्र जैसे राज्य-आधारित दस्तावेजों के गैर-प्रस्तुतिकरण पर प्रस्ताव वापस कर रहे हैं।

प्रबंधन के उत्तर को इस तथ्य के प्ति देखा जाना है कि लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए सभी मामलों (हरित ऊर्जा मार्ग भाग ख व भाग ग के अलावा), वन प्रस्ताव अगस्त 2014 अर्थात्, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से वन प्रस्तावों के प्रस्तुतिकरण की प्रणाली शुरू होने से पहले प्रस्तुत किए गए थे। इसके अतिरिक्त, पीजीसीआईएल को प्रस्तुतिकरण के समय ही पूरे दस्तावेज (ऑनलाइन पोर्टल पर अथवा अन्यथा और एमओईएफ या राज्यो की मांग पर) प्रस्तुत करने चाहिए जिससे नोडल अधिकारियों द्वारा वन प्रस्तावों के अस्वीकार की घटनाओं का कोई प्रभाव न पड़े। इसके अलावा, प्रबंधन ने स्वीकार किया है कि दस्तावेजों की अपूर्णता/ अनुपलब्धता के मामले में प्रस्ताव नोडल अधिकारियों द्वारा वापस भेजे

³⁷ जैसे अनुसूचित जनजाति तथा परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम 2006 के अनुपालन में प्रमाण पत्र प्रेषण लाईन मार्गस्थ अधिकार की चौड़ाई, आवश्यक वन भूमि दर्शाते मानचित्र, लागत लाभ विश्लेषण, कुल आवश्यक भूमि का प्रयोजन वार पृथक विवरण इत्यादी

जा रहे हैं। अंततः पीजीसीआईएल से राज्य आधारित आवश्यकताओं के प्रति सजग होना अपेक्षित है, क्योंकि यह उसकी कार्यशैली का प्रमुख क्षेत्र है।

एक्जिट सम्मेलन में, मंत्रालय ने (जनवरी 2020) प्रबंधन को प्रस्तावों के प्रस्तुतिकरण हेतु मानक चेकलिस्ट तैयार करने के निर्देश दिए।

संविदाओं का निर्णय

4.3 पूर्व-बोली गतिविधियां

पूर्व-बोली गतिविधियों में निर्माताओं/ आपूर्तिकर्ताओं से माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए बोली जारी करने से पहले कंपनी द्वारा उठाये गये कदम/ प्रक्रियाएं शामिल हैं। इसमें अधिप्राप्ति नीति, सीवीसी परिपत्र, सांविधिक प्रावधानों आदि के अनुसार संविदा पैकेजिंग, लागत अनुमान, अर्हता मानदंड और तकनीकी विशिष्टताओं की योजना और बोली दस्तावेज शामिल हैं।

अर्हता मानदंड में विभिन्न आधारभूत आवश्यकताएं शामिल हैं जो एक विशेष संविदा/ पैकेज के लिए बोली लगाने के लिए बोलीदाता के पास अवश्य होनी चाहिए यह उन बोलीदाताओं की पहचान करने में सहायता करता है जिन्हें अधिप्राप्ति किये जाने वाले आवश्यक माल और सेवाओं की सुपुर्दगी का अनुभव हो। लेखापरीक्षा ने विभिन्न अर्हता मानदंड की जांच की तथा अग्रलिखित का अवलोकन किया:

4.3.1 निराधार संतुलित क्षमता निर्धारण मानदंड को अपनाना

पीजीसीआईएल की अधिप्राप्ति नीति (नवंबर 2016) में पीजीसीआईएल द्वारा सौंपे गये निर्माणकार्यों (जैसे टावर पार्ट, कंडक्टर, इंसुलेटर्स आदि) के क्रियान्वयन के लिए बोलीदाताओं की विनिर्माण क्षमता का आंकलन अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त डब्ल्यूपीपीपी ने कहा कि वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्याशित बोलीदाताओं को निर्माण क्षमता सहित माना जाएगा बशर्ते कि निर्दिष्ट वित्तीय वर्ष के दौरान खोली गई बोलियों के लिए विचाराधीन मद की वार्षिक आवश्यकता बोलीदाता (यह मानते हुए कि संतुलित बोली क्षमता को अन्य संगठन द्वारा सौंपी गई संविदाओं के लिए प्रयुक्त की गई है) की वार्षिक निर्माण क्षमता से 0.67 गुणा से अधिक नहीं हैं।

इस प्रकार, डब्ल्यूपीपीपी के अनुसार, बोलीदाता के पास लंबित आदेशों का विश्लेषण समाप्त कर दिया गया था और कंपनी द्वारा यह मान लिया गया कि सभी बोलीदाताओं की लगभग 67 प्रतिशत निर्माण क्षमता इसके द्वारा दिये गये आदेशों के लिए उपलब्ध होगी। सभी बोलीदाताओं की 67 प्रतिशत क्षमता लेने के कारण और आधार रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं थे।

कंडक्टर्स की आपूर्ति के लिए मै. प्रेम केबल्स लिमिटेड को दी गई संविदा की समीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि 2011-12 से 2014-2015 की अवधि के दौरान, अन्य संगठनों को कंडक्टर्स की आपूर्ति 48 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के बीच थी। इसके अतिरिक्त, अपर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मामले में, अन्य संगठनों को वर्ष 2013-14 और 2014-15 के लिए कंडक्टर्स की आपूर्ति 33 प्रतिशत से अधिक थी।

प्रबंधन/ मंत्रालय ने उत्तर दिया (जनवरी 2019 और जून 2019) कि विनिर्माण क्षमता, जिसमें पीजीसीआईएल ने बोलीदाता की कुल विनिर्माण क्षमता के 67 प्रतिशत तक वर्ष में आदेश देकर एक विशेष बोलीदाता पर निर्भर रहने का जोखिम उठाया, से संबंधित मानदंड पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ाने के लिए उपाय हैं।

उत्तर को इस तथ्य के मद्देनजर देखा जाए कि प्रबंधन ने 67 प्रतिशत के मानदंड निर्धारण के आधार को नहीं दर्शाया है। इसके अतिरिक्त, संशोधित मानदंड में बोलीदाता के पास उपलब्ध वास्तविक अतिरिक्त क्षमता को अनदेखा किया गया जो कि 67 प्रतिशत से अधिक या कम हो सकती है। इस प्रकार, उनके द्वारा अपने सभी आपूर्तिकर्ताओं/ ठेकेदारों की 67 प्रतिशत क्षमता की उपयोगिता के संबंध में कंपनी की अवधारणा को उचित नहीं माना जा सकता क्योंकि इससे बोलीदाता की निर्माण क्षमता के कम/ अधिक आकलन की गुंजाइस रहती है जिसके परिणामस्वरूप या तो आदेश अयोग्य पार्टी को मिल जाएगा या योग्य पार्टी की बोली निरस्त हो जाएगी।

4.3.2 घातक दुर्घटनाओं के संबंध में खंड में अस्पष्टता

बोली दस्तावेजों में, अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया कि, “किसी वित्तीय वर्ष के दौरान लगातार तीन घातक दुर्घटनाओं में किसी बोलीदाता की भागीदारी के पश्चात, सभी पैकेज हेतु ऐसे बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत की गई बोली, जिसकी मूलतः निर्धारित और/ वास्तविक बोली खोलने की तिथि अंतिम घातक दुर्घटना की तिथि से तीन महीने अवधि के अंदर आती है तो इसे अप्रभावशाली माना जाएगा। हालांकि, यदि उक्त तीन महीनों के दौरान बोलीदाता से कोई बोली नहीं मिली है, तब तीन महीनों के बाद प्रस्तुत की गई किसी बोली को अप्रभावशाली माना जाएगा।”

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- (i) संविदाकार अर्थात मै. कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड (केपीटीएल) के पीजीसीआईएल कार्यस्थलों पर 2014-15 (10 दिसंबर 2014 को तीसरी घातक

दुर्घटना) के दौरान तीन घातक दुर्घटनाएं हुईं। इस प्रकार, यह संविदाकार किसी संविदा के लिए अर्हक नहीं था जिसकी बोली 10 मार्च 2015 तक खुली हुई थी; हालांकि, पीजीसीआईएल ने इस संविदाकार को ₹316.60 करोड़ मूल्य के तीन³⁸ संविदा दिये जिनकी बोली 10 मार्च 2015 से पहले खुली थी।

(ii) ट्रांसमिशन लाईनों के निर्माण सहित अवसंरचना परियोजनाओं के लिए योजना आयोग द्वारा जारी किये गये (अप्रैल 2014) प्रस्ताव के लिए मॉडल अनुरोध के अनुसार, विगत पांच वर्षों के दौरान सूचित की गई घातक दुर्घटनाओं के विवरण एकत्र किये जाने की आवश्यकता है। पीजीसीआईएल ने बोली दस्तावेजों में इन बोलीदाताओं से विशेषतः घातक दुर्घटनाओं का डेटा प्राप्त नहीं किया। ऐसे विवरण के अभाव में, पीजीसीआईएल ने बोलीदाताओं की सभी घातक दुर्घटनाओं के विवरण की अपेक्षा पीजीसीआईएल ने लिए इन संभावित बोलीदाताओं द्वारा क्रियान्वित केवल विगत निर्माणकार्यों के संबंध में दुर्घटना की सूचना ली। यह इंगित करना उपयुक्त होगा कि अन्य सीपीएसई जैसे एनटीपीसी बोलियां आमंत्रित करते समय बोलीदाताओं द्वारा क्रियान्वित निर्माणकार्यों में विगत तीन वर्षों के दौरान हुई घातक दुर्घटनाओं के बारे में उन से विवरण मांग रही थी। इसके अतिरिक्त, पीजीसीआईएल ने अनुस्मारकों³⁹ के बावजूद 2012-17 की अवधि हेतु पीजीसीआईएल के कार्य स्थलों पर हुई घातक दुर्घटनाओं की पूरी सूची उपलब्ध नहीं कराई है।

(iii) पीजीसीआईएल ने यह भी स्पष्ट नहीं किया कि विगत घातक दुर्घटना घटित होने से तीन महीनों के दौरान बोलीदाता से यदि कोई बोली प्राप्त नहीं हुई है तो तीन महीनों के बाद प्रस्तुत की गई किस बोली को प्रभावहीन माना जाएगा। मंत्रालय ने कहा (जून 2019) कि तीन महीनों के बाद प्रस्तुत की गई बोलियों के निपटान के लिए कोई विशिष्ट मानदंड नहीं होना चाहिए क्योंकि यदि तीन महीनों के बाद एक ही तिथि को ऐसे बोलीदाता की एक या अधिक बोली खोली जाती है, तो दोनों में से एक विशिष्ट बोली के प्रभावहीन बन जाने से विशेष पैकेज में बोलीदाता को बोली से बचने का अवसर देगी जिससे समस्त प्रक्रिया का विवरण देना पड़ेगा। एक विस्तृत प्रारूप न होने के कारण अन्य संगठन द्वारा घातक दुर्घटना की रिपोर्टिंग की संभावना हो सकती है।

³⁸ एनओए सं. 5217, 5312 और 5311 की तीन संविदाएं जिनका एलओए मूल्य क्रमशः ₹110.37 करोड़, ₹102.87 करोड़ और ₹103.36 करोड़ था

³⁹ मांगपत्र दिनांक 16.10.2019, निदेशक (वित्त) को अनुस्मारक दिनांक 14.11.2019, 05.12.2019

उत्तर को इस तथ्य के मद्देनजर देखा जाएगा कि बोलीदाता से घातक दुर्घटनाओं के विवरण एकत्र करने की विफलता योजना आयोग द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों का अननुपालन है।

4.3.3 टावर के प्रकार और इसकी अधिप्राप्ति को अंतिम रूप देना

एनईपी 2012 ने विस्तृत सर्वेक्षण और मार्ग संरेखण करने के लिए सेटलाइट चित्रण जैसे उदीयमान प्रौद्योगिकियों को अपनाने का सुझाव दिया। इसके अतिरिक्त इसमें प्रावधान किया गया कि विंड जोन मैपिंग और टावर के विभिन्न प्रकार के मानक डिजाइन तथा मृदा जांच पहले ही की जानी चाहिए ताकि ट्रांसमिशन प्रणाली के लिए निर्माण समय को काफी हद तक कम किया जा सके।

हालांकि, टावर लगाने के पैकेज के लिए संविदा करारों की समीक्षा ने दर्शाया कि:

(i) एनईपी में अपेक्षित विस्तृत सर्वेक्षण और मार्ग संरेखण करने के लिए सेटलाइट इमेजिंग नहीं की जा रही। इसके बजाय इसकी मार्ग संरेखण, प्रोफाइलिंग सहित विस्तृत सर्वेक्षण कार्य सौंपने के बाद संविदाकार द्वारा किया गया था। एनईपी के अनुसार मृदा जांच अग्रिम रूप से नहीं कराई जा रही थी जबकि संविदाकार द्वारा मृदा जांच (मृदा की प्रकार जैसे दरारदार चट्टान, कठोर चट्टान, नदी बहाव आदि) विस्तृत सर्वेक्षण में कराई गई थी।

(ii) ठेकेदार द्वारा कार्य सौंपने के बाद विस्तृत सर्वेक्षण करने के बाद कंपनी को सभी प्रकार के टावर के लिए डिजाइन (टावर प्रकार), टावर की संरचना और आधार ड्राइंग प्रस्तावित की गई थी। उपरोक्त को संविदाकारों को कार्य सौंपने के दो महीनों के अंदर कंपनी द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक था।

(iii) संविदाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा के दौरान, टावर के डिजाइन में सुधार/ कमी को दूर करने और टावर की मात्रा में परिवर्तन आदि सहित विभिन्न कारणों के आधार पर सात संविदाओं में तीन महीनों से 13 महीनों तक का विलंब हुआ।

प्रबंधन/ मंत्रालय ने कहा (जनवरी 2019 और जून 2019) कि समय की कमी के कारण एनआईटी से पहले केवल वॉकओवर/ प्रारंभिक सर्वेक्षण अलग-अलग किये गये थे तथा क्रियान्वयन चरण के दौरान संविदाकार द्वारा विस्तृत सर्वेक्षण किये गये हैं। पीजीसीआईएल द्वारा मानक टावर प्रकार के विभिन्न डिजाइन तथा मानक आधार अग्रिम रूप से विकसित किये गये हैं। केवल कुछ मामलों में, साइट से प्राप्त मृदा स्थिति/ अन्य जानकारियों के आधार पर स्थान विशिष्ट आधार के डिजाइन तैयार किये गये हैं।

उत्तर को इन तथ्य के मद्देनजर देखा जाना चाहिए कि यद्यपि कंपनी ने मानक टावर और पाईल आधार डिजाईन विकसित किये थे, फिर भी उनका पूरा लाभ (एनईपी द्वारा परिकल्पित निर्माण समय बचत के रूप में) प्राप्त नहीं किया जा सका क्योंकि टावर के विभिन्न प्रकार, डिजाईन तथा मात्रा को केवल कार्य के सौंपने के बाद विस्तृत सर्वेक्षण के आधार पर अंतिम रूप दिया गया था जिसके परिणामस्वरूप सात संविदाओं में तीन महीने से 13 महीनों तक विलंब हुआ जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट किया गया है। इसके अतिरिक्त, एनआईटी के परियोजना अवधारणा अनुमोदन और कार्यान्वयन/ निर्गमन आरंभ करने के बीच कंपनी द्वारा उपरोक्त संविदाओं में लिया गया समय संविदाकारों को अनुमत विस्तृत सर्वेक्षण करने के लिए एक वर्ष के सामान्य समय के प्रति 1.5 वर्ष से 17 वर्षों का समय था।

4.3.4 विभिन्न प्री-अवार्ड माईलस्टोन प्राप्त करने में विलंब

कंपनी की अधिप्राप्ति नीति शून्य तिथि के रूप में सीईए द्वारा परियोजना के सैद्धांतिक अनुमोदन की तिथि मानते हुए संविदा सौंपने की पूरी प्रक्रिया के लिए समयावधि निर्दिष्ट करती है। हालांकि, जनवरी 2011 से लागू सशक्त समिति (सीईए⁴⁰ के स्थान पर) निर्णय लेती है कि क्या परियोजना पीजीसीआईएल को या टीबीसीबी द्वारा सौंपी जानी है। लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि सशक्त समिति द्वारा परियोजना के अनुमोदन की तिथि के रूप में कंपनी ने शून्य तिथि को अधिसूचित नहीं किया था। इस प्रकार, अधिप्राप्ति नीति की समीक्षा किये जाने की आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त, स्थाई समिति बैठक की अंतिम तिथि से डीपीआर के अनुमोदन में विलंब, वन मंजूरी के लिए आवेदन करने तथा मध्यवर्ती गतिविधियों जैसे बोली प्रस्तुतिकरण के लिए समय बढ़ाने के लिए बोलीदाताओं से अनुरोध का पूर्ण न होने में विलंब, बोलियों के मूल्यांकन में विलंब आदि के कारण विभिन्न प्री-अवार्ड माईलस्टोन प्राप्त करने में विलंब हुए थे विभिन्न प्री अवार्ड गतिविधियों में विलंब के विवरण नीचे तालिका 4.2 में सारबद्ध किये गये हैं:

⁴⁰ लेखापरीक्षा में संशक्त समिति द्वारा अनुमोदन की तिथि से और अन्य योजनाओं में सीईए के सैद्धांतिक अनुमोदन से चार योजनाओं में (जो जनवरी 2011 से अनुमोदित थी) विलंब की गणना की गई

तालिका 4.1

निर्धारित समयावधि के बाद भी विलंब अवधि	मामलों की संख्या		
	सशक्त समिति द्वारा अनुमादेन/ सीईए के सैद्धांतिक अनुमोदन से एनआईटी को जारी करने में विलंब	सशक्त समिति द्वारा अनुमादेन/ सीईए के सैद्धांतिक अनुमोदन से बोली आरंभ करने में विलंब	सशक्त समिति द्वारा अनुमादेन/ सीईए के सैद्धांतिक अनुमोदन से अवार्ड की अधिसूचना में विलंब
30 से 50 सप्ताह	17	18	10
50 से 100 सप्ताह	31	49	57
100 से 150 सप्ताह	11	17	13
150 सप्ताह से अधिक	14	13	13
कुल	73	97	93

प्री-अवार्ड माईलस्टोन प्राप्त करने में विलंब के कारण लाईन के अंतिम क्रियान्वयन में काफी विलंब हुआ। 18 चयनित परियोजनाओं में से, केवल दो परियोजना दिसंबर 2018 की निर्धारित अवधि के अंदर पूरी की गई थी और 13 परियोजनाएं 4 से 71 महीनों के बीच के विलंब के साथ पूरी की गई थीं। शेष तीन परियोजनाएं 6 से 109 महीनों के बीच संभावित विलंब के साथ पूरी की गई थीं।

प्रबंधन/ मंत्रालय ने कहा (जनवरी/ जून 2019) कि विक्रेताओं के निर्धारण, बोली दस्तावेज में संशोधन, विक्रेताओं से कम प्रतिक्रिया, वित्तपोषण एजेंसियों से मंजूरी, सामने आये वन स्ट्रेच आदि ने प्रक्रिया को प्रभावित किया जिसके कारण संविदा दिये गये।

तथ्य यह कि कंपनी द्वारा निर्दिष्ट किये गये विलंब के कारण या तो परियोजनाओं के लिए समान सामान्य तथ्य है और अधिप्राप्ति नीति में विभिन्न माईलस्टोन के लिए समयावधि के निर्धारण के समय पर ध्यान रखा गया है या बेहतर प्रबंधन जैसे वन आवेदन करने से पहले उचित सर्वेक्षण आदि द्वारा नियंत्रित किये जाने की संभावना थी जिसकी चर्चा उपरोक्त पैरा में की गई है।

4.4 पश्च-बोली गतिविधियां (बोलियों का मूल्यांकन)

पश्च-बोली गतिविधियों में निर्दिष्ट अर्हता मानदंड के प्रति बोलीदाता की क्षमता और योग्यता का मूल्यांकन शामिल होता है। इसमें केंद्रीय सर्तकता आयोग (सीवीसी), ऋणदाता एजेन्सी जैसे विश्व बैंक आदि के दिशा-निर्देशों तथा कंपनी की अधिप्राप्ति नीति के अनुसार बोली की जांच भी शामिल हैं। लेखापरीक्षा में

मूल्यांकन प्रक्रियाओं की समीक्षा की गई तथा विभिन्न दिशा-निर्देशों की अननुपालना और बोलीदाता की क्षमता का अनुचित/ गैर निर्धारण पाया।

4.4.1 अर्हताप्राप्त बोलीदाता का अविवेकपूर्ण निरस्तीकरण

कंपनी ने 09 मई 2012 को 765 कि.वा. एस/सी वाराणसी/ बलिया ट्रांसमिशन लाईन के लिए टावर पैकेज के लिए बोलियां आमंत्रित की थी। उपरोक्त टावर पैकेज के प्रति आठ बोलीदाताओं ने अपनी बोली प्रस्तुत की। इन आठ बोलीदाताओं में से सात बोलीदाता (मै. केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड और मै. गेमोन इंडिया लिमिटेड सहित) तकनीकी रूप से अर्हक पाये गये थे। कंपनी ने ₹172.78 करोड़ की संविदा कीमत पर मै. केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड (मै. केआईएल) को टावर पैकेज सौंपे (29 जनवरी 2013)।

उपरोक्त के संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि मै. गेमोन इंडिया लिमिटेड (जीआईएल) और मै. केआईएल दोनों उनकी संबंधित के बोलियों में दिये गये विवरण के अनुसार उपरोक्त वित्तीय मानक को पूरा कर रही थीं। हालांकि, सभी बोलीदाताओं की कीमत बोलियों को खोलने से पहले कंपनी द्वारा केवल मै. जीआईएल की वित्तीय क्षमता को इसके वित्तीय परिणामों के आधार पर विश्लेषित किया गया था। आकलन के आधार पर, मै. जीआईएल की वित्तीय बोली पर विचार न करने का निर्णय लिया गया था क्योंकि वित्तीय वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान इसके निवल लाभ में गिरावट की प्रवृत्ति थी और इसने परिचालन (दीर्घावधि ऋण और लाभांश भुगतान के निवल के बाद) से ऋणात्मक नकद अर्जित किया था। हालांकि, लेखापरीक्षा में चार वर्षों अर्थात् 2009-10 से 2011-12 हेतु मै. जीआईएल और मै. केआईएल के नकद प्रवाह का विश्लेषण किया गया और पाया कि प्रचालन (ऋण चुकाने और लाभांश के निवल) से नकद प्रवाह दोनों बोलीदाताओं के लिए उपरोक्त तीन वित्तीय वर्षों में से दो में ऋणात्मक थे। इसके अतिरिक्त, मै. जीआईएल के संबंध में समग्र रेटिंग संविदाओं को आगे सौंपने के लिए न्यूनतम रेटिंग से ऊपर मानी गई थी तथा इसने सभी तकनीकी अर्हता मानदंड को पूरा किया। उपरोक्त के बावजूद, मै. जीआईएल को अविवेकपूर्ण रूप से अयोग्य घोषित किया गया और संविदा मै. केआईएल को सौंप दी गई।

प्रबंधन/ मंत्रालय ने कहा (जनवरी/ जून 2019) कि जीआईएल की वित्तीय क्षमता के बारे में कुछ जोखिम भी देखा गया था, उक्त को और बीओडी के निदेश को ध्यान में रखते हुए यह विवेकपूर्ण समझा गया कि जीआईएल की वित्तीय स्थिति की दोबारा जांच की जाएगी।

उत्तर को इस तथ्य के मद्देनजर देखा जाएगा कि कंपनी द्वारा मै. केआईएल सहित अन्य बोलीदाताओं के संबंध में समान विस्तृत वित्तीय विश्लेषण नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, मै. जीआईएल और मै. केआईएल हेतु चार विचाराधीन वित्तीय वर्षों में से तीन के दौरान प्रचालनो (ऋण चुकाने और लाभांश के निवल) के नकद प्रवाह ऋणात्मक थे। इस प्रकार, तथ्य यह है कि योग्य बोलीदाता को अन्यायसंगत रूप से निरस्त कर दिया था।

4.4.2 बोलीदाताओं का अनुचित क्षमता निर्धारण

अधिप्राप्ति नीति 2001 (खंड बी.5.8.8) के अनुसार, बोलीदाताओं के निर्धारण में उनकी वित्तीय क्षमता की जांच तथा संविदा के क्रियान्वयन हेतु पृथक क्षमता⁴¹ (निवल मौजूदा प्रतिबद्धता) का विश्लेषण सम्मिलित है।

4.4.2.1 बोलीदाताओं की क्षमता का निर्धारण न करना

120 मामलों में से 11⁴² में यह देखा गया था कि बोलीदाता की उत्पादन क्षमता निर्धारित नहीं की गई थी। बोलीदाताओं की क्षमता का निर्धारण करते समय, बोलीदाताओं पर मूल्यांकन रिपोर्ट में यह निर्दिष्ट किया गया था कि बोलीदाताओं ने पीजीसीआईएल सहित विभिन्न उपादेयता की समान प्रकृति और जटिलता वाली विभिन्न संविदाओं को क्रियान्वित किया था/ क्रियान्वित कर रहे थे। इस प्रकार, उपरोक्त के मद्देनजर, सभी बोलीदाताओं को विषयगत पैकेज को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक क्षमता वाला माना गया था। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा में अवलोकन किया गया कि उपर्युक्त 11 संविदाओं में से दो मामलों में, संविदाकारों⁴³ द्वारा इंसुलेटर की आपूर्ति में विलंब हुआ और आपूर्ति की निर्धारित तिथि अक्टूबर 2015 थी। इस संविदा को इंसुलेटर की आपूर्ति न होने के कारण बीच में ही बंद कर दिया गया (मार्च 2017) जिसके परिणामस्वरूप ट्रांसमिशन लाइन को आरंभ करने में 18 महीनों का परिहार्य विलंब हुआ। दूसरी संविदा⁴⁴ में,

⁴¹ पृथक क्षमता परियोजना क्रियान्वयन की क्षमता है

⁴² भेल (संविदा संख्या 459), (ii) मेसर्स जीईटी एंड डी इंडिया लिमिटेड और मेसर्स अलस्टोम ग्रिड एनर्जिया लिमिटेड ब्राजील (4718) के जेवी, (iii) टीबीईए शेनयांग ट्रांसफॉर्मर ग्रुप लिमिटेड (संविदा संख्या) 4724), (iv) एल एंड टी (5373,5371), (v) एबीबी, भारत और एबीबी के जेवी, एबी स्वीडन (संख्या 4873), (vi) हयूनसांग कार्पोरेशन (संख्या 4300), (vii) एएबी(अनुबंध .4317), (viii) जियान एक्सडी स्विचगियर इलेक्ट्रिक कंपनी लिमिटेड (संख्या 5343), (ix) टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजी. कंपनी लिमिटेड (संख्या 5345) और (X) मेसर्स जीईटी एंड डी इंडिया लिमिटेड, नोएडा और (X) मेसर्स जीईटी और डी इंडिया लिमिटेड और मेसर्स एलसटॉम के जेवी

⁴³ भेल

⁴⁴ मै. जीईटी एंड डी इंडिया लिमिटेड और मै. आलसटॉम

झटीकारा उपस्टेशन के लिए शंट रिक्टरों की आपूर्ति में संविदाकार की ओर से 12 महीने का विलंब हुआ जिसके परिणामस्वरूप झारखंड और पश्चिम बंगाल भाग ख. में पीएच 1-उत्पादन परियोजना के लिए ट्रांसमिशन लाईन को आरंभ करने में परिहार्य विलंब हुआ। इसने दर्शाया कि संविदा को सौंपने से पहले अपनी प्रचालन गतिविधियों के संबंध में बोलीदाताओं की शेष क्षमता का निर्धारण न करने के कारण संविदाओं के क्रियान्वयन में अधिक समय लगा।

प्रबंधन/ मंत्रालय ने कहा (जनवरी 2019/ जून 2019) कि सामान्यतः बोलीदाताओं का मूल्यांकन नये बोलीदाताओं के लिए किया जाता है या जब विनिर्माण क्षमता में वृद्धि, वित्तीय मामलों आदि जैसे कुछ मामले हो।

उत्तर को इस तथ्य के मद्देनजर देखा जाना चाहिए कि पीजीसीआईएल के डब्ल्यूपीपीपी के दृष्टिकोण में, विचाराधीन जोन के अंतर्गत आने वाले सभी बोलीदाताओं की निर्धारण रिपोर्ट में संविदा के क्रियान्वयन की निवल अतिरिक्त विनिर्माण/ तैयार करने की क्षमता का विश्लेषण शामिल होना चाहिए। उक्त का पालन नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ट्रांसमिशन लाईनों के आरंभ करने में विलंब हुआ जैसाकि ऊपर चर्चा की गई है। मंत्रालय के साथ एग्जिट कांफ्रेंस में, मंत्रालय ने सभी बोली मानदंड का मूल्यांकन दर्शाते हुए संपूर्ण रिकार्ड को अनुरक्षित करने के लिए प्रबंधन को निर्देश दिए (जनवरी 2020)।

4.4.2.2 बोलीदाताओं की अतिरिक्त क्षमता का अनुचित निर्धारण

अधिप्राप्ति नीति 2001 के अनुसार, संविदा देते समय बोलीदाता के क्षमता के निर्धारण को ध्यान में रखना चाहिए परंतु पीजीसीआईएल के साथ-साथ अन्य विद्युत उपादेयताओं द्वारा क्रियान्वयन लंबित था। यह अवलोकन किया गया कि 24⁴⁵ संविदाओं में बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत किये गये मौजूदा कार्य के संपूर्ण विवरण को अतिरिक्त क्षमता का मूल्यांकन करते समय ध्यान में नहीं रखा गया था। इसके अतिरिक्त यह अवलोकन लेखापरीक्षा ने जबलपुर, झटरीकारा, ग्वालियर, वर्धा, विंध्याचल और रायपुर में 765/ 400 कि वा. रायपुर पुलिंग स्टेशनो के अंतर्गत छः उप स्टेशनो की आपूर्ति और तैयार करने से संबंधित एक संविदा⁴⁶ में किया। आईसीटी की आपूर्ति के लिए संविदाकरी की ओर से 34 सप्ताहों (8 महीने) का विलंब हुआ परिणामस्वरूप रायपुर पुलिंग स्टेशन के 765

⁴⁵ एलओए नोस: (1) 4930, (2) 4755, (3) 5487, (4) 5570, (5) 5260, (6) 5267, (7) 5614, (8) 5312, (9) 5310, (10)) 5309, (11) 4729, (12) 4730, (13) 4701, (14) 4702, (15) 5811, (16) 4579, (17) 5339, (18) 5420, (19) 5613, (20)) 2850, (21) 2851, (22) 5507, (23) 5728 और (24) 5727

⁴⁶ मैसर्स जी ई टी & डी इंडिया लिमिटेड, नाँण्डा

कि वा और 400 कि.वा) के मुख्य और टाई बे को आरंभ करने में आठ महीनों का विलंब हुआ।

प्रबंधन/ मंत्रालय ने कहा (जनवरी 2019 और जून 2019) कि विनिर्माता द्वारा अन्य उपादेयताओं के विनिर्माण की सामूहिक प्रतिबद्धता को मूल्यांकन के समय पर ध्यान में रखा गया था।

उत्तर को इस तथ्य के संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि हालांकि पीजीसीआईएल ने बोली के भाग के रूप में अन्य उपादेयताओं के बोलीदाताओं की प्रतिबद्धताओं के विवरण प्राप्त किये, उक्त को बोलीदाताओं की अतिरिक्त क्षमता का निर्धारण करते समय पूरी तरह ध्यान में नहीं रखा गया था जैसा कि ऊपर इंगित किया गया है। मंत्रालय के साथ एग्जिट कांफ्रेंस में, मंत्रालय ने सभी बोली मानदंड का मूल्यांकन दर्शाते हुए संपूर्ण रिकार्ड को अनुरक्षित करने के लिए प्रबंधन को निर्देश दिये (जनवरी 2020)।

4.4.2.3 बोलीदाताओं की वित्तीय क्षमता का अनुचित विश्लेषण

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, कारोबार का अर्थ है एक वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा माल के क्रय, आपूर्ति या वितरण या प्रदान की गई सेवा या दोनो के संबंध में वसूली गई राशि का औसत मूल्य है। अनुमोदित मानक अर्हता आवश्यकता (क्यूआर), न्यूनतम औसत वार्षिक कारोबार (एमएएटी) की सभी गैर-आवृत्तिक आय को छोड़कर गणना की जानी चाहिए।

हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि कारोबार के लिए मानदंड कंपनी अधिनियम, 2013 में दी गई कारोबार की परिभाषा के अनुसार नहीं थी। इसके अतिरिक्त, क्यूआर समिति ने एमएएटी की गणना के लिए सभी गैर-आवृत्तिक आय को छोड़ने के संबंध में कोई सतत् कार्य पद्धति नहीं अपनाई थी। इसके अतिरिक्त, विस्तृत एमएएटी गणना अनुस्मारको के बावजूद भी रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं पाई गई। इस प्रकार, एमएएटी की गणना की सटीकता का सत्यापन नहीं किया जा सका।

प्रबंधन/ मंत्रालय ने कहा (जनवरी 2019 और जून 2019) कि लेखापरीक्षा के सुझाव के आधार पर, प्रणाली सुधार के लिए कदम के रूप में, पीजीसीआईएल ने कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा परिभाषित कारोबार को मानने का निर्णय लिया था।

लेखापरीक्षा ने एमएएटी की गणना में किसी अस्पष्टता से बचने के लिए बोली मूल्यांकन के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की परिभाषा के अनुसार कारोबार को स्वीकृत करने के लिए प्रबंधन द्वारा दिये गये आश्वासन की प्रशंसा की।

4.5 परियोजनाओं का क्रियान्वयन व कार्यपूर्ति

परियोजनाओं का क्रियान्वयन प्रादेशिक कार्यालयों द्वारा किया गया है जिन्हें यह सुनिश्चित करना अपेक्षित है कि कार्य को निर्दिष्ट विस्तृत समयावधि के अनुसार किया गया है। लेखापरीक्षा में विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत सौंपी गई संविदाओं के क्रियान्वयन में विलंब देखा गया। विलंब के कारणों का विश्लेषण इस प्रकार नीचे किया गया था।

4.5.1 संविदाओं की पूर्णता में विलंब का विश्लेषण

निवेश अनुमोदन प्राप्त करते समय, परियोजना की पूर्णता हेतु निर्दिष्ट समयावधि प्रबंधन द्वारा निर्धारित की गई है। ट्रांसमिशन परियोजनाओं से संबंधित 18 परियोजनाओं के अंतर्गत कंपनी द्वारा क्रियान्वित चयनित 120 संविदाओं के क्रियान्वयन के दौरान, 109 संविदाओं में तैयार करने/ आपूर्तियों की पूर्णता में एक महीने से 40 महीनों के बीच विलंब था। उपरोक्त 109 लंबित संविदाओं में से; 24 संविदाओं में विलंब अन्य के साथ-साथ संविदाकार के कारण भी थे और केवल 13 संविदाओं संबंध में एलडी उद्ग्रहित की गई थी। सात संविदाओं में, समय विस्तार/ निर्णित हर्जाने के अंतिम रूप देने का कार्य चल रहा था तथा शेष चार संविदाओं में एलडी का उद्ग्रहण नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा में ऐसे लंबे विलंब के मुख्य कारणों का विश्लेषण किया गया और इसे तालिका 4.3 में सारबद्ध किया गया है:

तालिका 4.2

विलंब के कारण	ठेकों की संख्या	विलंब अवधि महीनों में
पीजीसीआईएल के कारण		
पीजीसीआईएल द्वारा फ्रंट/ साइट उपलब्ध कराने में विलंब	23	3 से 36
पीजीसीआईएल द्वारा सामग्री की आपूर्ति जारी करने /मात्रा की मंजूरी/ सामग्री बिल के अनुमोदन में विलंब	21	3 से 36
टावर की संख्या को अंतिम रूप देने/ मंजूरी/ सामान बिल के अनुमोदन में विलंब	11	9 से 31
कार्यक्षेत्र तथा मात्रा भिन्नता/ आपूर्ति पर पीजीसीआईएल द्वारा लगाई गई रोक	11	1 से 39
प्रक्रियात्मक विलंब	6	1 से 14
अन्य कारण		
एजेंसी या ठेकेदार की ओर से विलंब	24	2 से 40
वन मंजूरी/ रेलवे क्रॉसिंग अनुमोदन आदि	18	5 से 40
अधिकृत रास्ते के मामला	48	2 से 40

जैसा कि पूर्ववर्ती पैरा 4.2 में चर्चा की गई है कंपनी द्वारा वन मंजूरी, अधिकृत रास्ता और प्री. अवार्ड गतिविधियों हेतु आवेदन में विलंब सहित संविदाओं के क्रियान्वयन में उपरोक्त विलंब के परिणामस्वरूप, अततः 18 चयनित परियोजनाओं में से 16 की पूर्णता को लगातार प्रभावित किया।

प्रबंधन/ मंत्रालय ने कहा (जनवरी/ जून 2019) कि कार्य हेतु तथा सर्वेक्षण हेतु इनपुट के लिए संविदाकार को फ्री साइट प्रदान करने के प्रावधान को विभिन्न मंजूरियां प्राप्त करने में विलंब ने विपरीत रूप से प्रभावित किया।

उत्तर को इस तथ्य के मद्देनजर देखा जाना चाहिए कि मंजूरियां प्राप्त करने में विलंब वन विभाग के पास पावरग्रिड द्वारा आवेदन करने में देरी या पूर्ण दस्तावेजों के बिना आवेदन करने के कारण भी हुआ था जो परिहार्य था। इसके अतिरिक्त, जैसा कि पीजीसीआईएल द्वारा स्वीकार किया गया था, कार्य सौंपने के बाद विस्तृत सर्वेक्षण किया गया था जिससे योजना तथा प्री-आवर्ड चरणों में ध्यान में न रखे गये विभिन्न सामाजिक और पर्यावरणीय मामलों के कारण क्रियान्वयन विलंबित हुआ। इसलिए, बेहतर प्रबंधन द्वारा परियोजना क्रियान्वयन में विलंब को कम करने गुंजाईश थी।

4.6 विलंब का प्रभाव

2009-2014 की अवधि हेतु लागू केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (कर की निबंधन और शर्तें) विनियमावली, 2009 के अनुसार, 0.5 प्रतिशत की दर पर इक्विटी पर अतिरिक्त रिटर्न अनुमत है यदि परियोजनाएं सीईआरसी विनियमावली के परिशिष्ट-II में निर्दिष्ट समय सीमा में 1 अप्रैल 2009 को या इसके बाद आरंभ की गई हैं। जैसाकि उपर निर्दिष्ट किया गया है संविदाओं के क्रियान्वयन में विलंब के कारण विभिन्न ट्रांसमिशन लाइनों की पूर्णता में पूर्णता की निर्धारित तिथि से 6 से 69 महीनों के बीच विलंब हुआ। इसलिए, कंपनी ने सीईआरसी टैरिफ विनियमावली 2014-19 के अंत तक आरंभ करने की तिथि से निर्दिष्ट समय सीमा के अंदर परियोजनाओं के अपूर्णता के कारण ₹112.51 करोड़ की इक्विटी पर अतिरिक्त रिटर्न छोड़ दिया। ऐसे विलंब के कारण मुख्यतः अधिकृत रास्ते, वन मंजूरी, के कारण थे आदि जैसाकि पहले पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

प्रबंधन/ मंत्रालय ने कहा (फरवरी/ जून 2019) कि अतिरिक्त आरओई, जो एक प्रोत्साहन है, को स्वतः प्राप्त आय/ अर्जन के रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता। कठोर समयावधि निर्दिष्ट की गई है इसके बाद भी सामान्य परिस्थितियों के अंतर्गत परियोजनाएं इन समय सारणियों में लागू नहीं की जा सकती। मंत्रालय की एग्जिट कांफ्रेंस में, मंत्रालय ने कहा (जनवरी 2020) कि कंपनी को सीईआरसी

द्वारा निर्दिष्ट समय में कार्य पूरा करने के लिए प्रयास तथा इक्विटी पर अतिरिक्त रिटर्न प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए।

4.7 पूर्ण की गई लाईनों का प्रयोग

4.7.1 ग्राहकों से एलटीए परित्याग प्रभारों की गैर वसूली

केंद्रीय विद्युत् विनियामक आयोग द्वारा जारी अंतर्राज्यीय प्रेषण में संपर्कसाध्यता, एलटीए व मध्यकालिक खुली पहुँच प्रदान करने व सम्वद्ध मामले विनियम, 2009 के विनियम-18 के अनुसार, एक दीर्घकालिक ग्राहक अवरुद्ध क्षमता की प्रतिपूर्ति का भुगतान कर दीर्घकालिक पहुँच की पूर्ण अवधि की समाप्ति से पहले दीर्घकालिक पहुँच अधिकारों का पूर्णतः या अंशतः परित्याग कर सकता है।

ग्राहकों द्वारा पूर्णतः/ अंशतः एलटीए परित्याग से संबंधित अभिलेखों की समीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि सितम्बर 2010 से मार्च 2018 तक ग्राहकों ने कुल 21,853 मेवा एलटीए अभ्यर्पित किये थे। इसके अलावा, 4,983 मेवा एलटीए के ग्राहकों ने अपना लक्षित क्षेत्र बदल दिया था जिसे सीईआरसी ने एलटीए में कटौती मन था और इसलिए, यह एलटीए परित्याग के सामान ही था। किन्तु अब तक ग्राहकों से कोई परित्याग प्रभार नहीं वसूले गए हैं। पीजीसीआईएल ने लम्बी अवधि में एक गुन्थित नेटवर्क में प्रेषण उपकरणों की पहचान/ उपयोग/ अनुपयोग में कठिनाइयों का हवाला देते हुए सीईआरसी के पास याचिकाएँ दायर की। सीईआरसी ने आयोजना के समय लोड उत्पादन परिदृश्य व विद्युत् प्रवाहों को ध्यान में रखते हुए अवरुद्ध क्षमता व तत्संबंधी एलटीए परित्याग प्रभारों की गणना करने के लिए फॉर्मूले तैयार करने तथा प्रस्तावित परित्याग के बाद होने वाले बदलावों की गणना करने हेतु सीईए को प्रक्रिया सुझाने के निर्देश दिए। सीईए की सिफारिशों पर कोई निर्णय लिए जाने तक, सीटीयू संपर्कसाध्यता विनियमों के विनियम 18 के अनुरूप परित्याग प्रभार वसूलती रहेगी। किन्तु सीटीयू द्वारा प्रत्याशित राशि के रूप में यू द्वारा प्रत्याशित राशि के रूप में यू द्वारा प्रत्याशित राशि के रूप में यू द्वारा प्रत्याशित राशि के रूप में ₹41.09 लाख प्रति मेवा की गणना किए जाने के बावजूद अब तक कोई वसूली नहीं की गई है।

इसके अलावा, संपर्कसाध्यता विनियमों के विनियम 18(3) के अनुसार, दीर्घकालिक ग्राहक द्वारा अवरुद्ध क्षमा हेतु भुगतान की गई प्रतिपूर्ति राशि अन्य दीर्घकालिक ग्राहकों व मध्यमकालिक ग्राहकों द्वारा उस वर्ष देय प्रेषण प्रभारों के अनुपात में उनके देय प्रेषण प्रभारों में कटौती करने हेतु उपयोग में लाये जायेंगे जिस वर्ष ये प्रपूर्ति भुगतान देय होता है।

प्रबंधन/ मंत्रालय ने कहा (जून 2019) की विभिन्न दीर्घकालिक पहुँच वाले ग्राहकों हेतु परित्याग प्रभारों की गणना की प्रक्रिया सीईआरसी द्वारा उसके आदेश दिनांक 08 मार्च 2019 के माध्यम से वर्णित की गयी है। सीईआरसी के निर्देशों के आधार पर, उपरोक्त परित्याग प्रभारों की संबंधित एलटीए ग्राहकों से वसूली हेतु बिलिंग प्रक्रियाधीन है।

इसके अलावा प्रबंधन द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना (मई 2020) के अनुसार, ग्राहकों से वसूली योग्य कुल परित्याग प्रभार राशी ₹7,205.41 करोड़ थी और पीजीसीआईएल के पर उपलब्ध बैंक गारंटियों के समायोजन के बाद परित्याग करने वाले ग्राहकों से ₹6,853.43 करोड़ राशी वसूली जानी बाकी है।

प्रबंधन के उत्तर से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि संबंधित एलटीए ग्राहकों से परित्याग प्रभार अभी तक वसूले जाने बाकी है।

अतः प्रेषण उपकरणों के परित्याग के कारण अवरुद्ध क्षमता हेतु पीजीसीआईएल द्वारा प्रतिपूर्ति प्रभार संग्रहण न किये जाने से ग्राहकों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ रहा है।

4.7.2 चयनित परियोजनाओं की निर्मित प्रेषण लाइनों के प्रयोग का आंकलन

पीजीसीआईएल ने विद्यमान प्रेषण लाइनों के प्रयोग का आंकलन करने हेतु न तो कोई मापदंड/ निदर्शक सिद्धांत तय किये हैं और न ही कोई तंत्र तैयार किया है।

पीजीसीआईएल में नियमित लाइन प्रयोग आंकलन प्रणाली की अनुपलब्धता के चलते, लेखा परीक्षा ने पोसोको से प्राप्त विद्युत् प्रवाह डाटा के आधार पर 18 चयनित परियोजनाओं की 30 निर्मित प्रेषण लाइनों⁴⁷ (दिसम्बर 2013 से मार्च 2019 के बीच निर्मित) के प्रयोग का विश्लेषण किया। प्रत्येक लाइन के क्रियान्वयन की तिथि से लेकर मार्च 2019 तक इन लाइनों में किसी भी समय हुए अधिकतम विद्युत् प्रवाहो व औसत विद्युत् प्रवाहो का विश्लेषण **अनुलग्नक 4** में वर्णित है और लेखापरीक्षा विश्लेषण का परिणामो का सार तालिका 4.3 में दिया गया है।

⁴⁷ चयनित नमूने के अनुसार 18 परियोजनाओं में जाँची गयी कुल 56 लाइनों में से, 37 लाइनों की लम्बाई 100 किमी से अधिक थी जिनके लिए पोसोको से विद्युत् प्रवाह डाटा देने का अनुरोध किया गया। पोसोको ने 30 लाइनों का डाटा दिया (जून 2019) जिसकी लेखापरीक्षा में जांच की गयी

तालिका 4.3 औसत विद्युत् प्रवाहो का विश्लेषण

लाइन की अधिकतम भारवाहकता की प्रतिशतता के रूप में औसत विद्युत् प्रवाह	लाइनों की संख्या
10 प्रतिशत से कम	12
10 से 30 प्रतिशत	15
30 से 60 प्रतिशत	2
60 प्रतिशत से अधिक	1
कुल	30

उपरोक्त से इंगित होता है की 27 लाइनों (90 प्रतिशत) में 30 प्रतिशत से कम औसत विद्युत् प्रवाह थे। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि 30 लाइनों में से 18 (60 प्रतिशत) में अधिकतम विद्युत् प्रवाह उनके शुरू किये जाने से मार्च 2019 तक की अवधि में संबंधित अधिकतम भारवाहक क्षमता के 40 प्रतिशत से कम रहा था।

जैसा कि ऊपर पैर 3.2.2 में पहले ही चर्चा की जा चुकी है, विभिन्न समितियों ने दीर्घकाल में अवरोध कम करने हेतु विभिन्न लाइनों की भारवाहक क्षमता में सुधार लाने के उपायों का अध्ययन व सिफारिश की थी (जनवरी 2013 व जनवरी 2015)। परन्तु पीजीसीआईएल ने चिन्हित लाइनों की भारवाहक क्षमता में सुधार लाने हेतु समितियों की सिफारिशों पर पर्याप्त करवाई नहीं की थी जिसमे से कुछ लाइनें अक्टूबर 2019 में भी अवरोध उत्पन्न करती पायी गयी थी।

उपरोक्त से इंगित होता है कि कुछ मामलों में अतिरेक क्षमता थी जिसका सर्वोत्तम उपयोग नहीं हो रहा था और अन्य मामलों में अवरोध कम करने के लिए क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता थी। इससे यह तथ्य निकलता है कि पीजीसीआईएल को लाइन उपयोग की निरंतर निगरानी की प्रणाली तैयार करने व उपकरणों के सर्वोत्तम प्रयोग हेतु उपाय करने की आवश्यकता है।

प्रबंधन ने कहा (जुलाई 2019) कि:

- (i) दैनिक/ मासिक/ मियादी लोड में बहुत ज्यादा फर्क होते रहते हैं और विद्युत् प्रणालियाँ उच्चतम मांग के मामलों में विद्युत् की निकासी सुगम करने के लिए तैयार किये गए हैं।
- (ii) उपरोक्त प्रेषण लाइनें विभिन्न उत्पादन परियोजनाओं से विद्युत् अंतरण के लिए योजनाबद्ध की गयीं थी जिनमे से कई परियोजनाएं अधूरी छोड़ दी गयी थीं।
- (iii) ये मार्ग संसाधन संपन्न क्षेत्रों से जुड़े हैं अतः बढ़ती विद्युत् मांग के साथ साथ इन लाइनों से अधिक विद्युत् प्रवाह होने की सम्भावना है। प्रशुल्क नीति के

उद्देश्य में भी विश्वसनीयता हेतु पर्याप्त गुंजाईश रखते हुए उत्पादन से पहले प्रेषण नेटवर्क का सर्वोत्तम विकास किया जाना निहित है।

एग्जिट सम्मलेन में, मंत्रालय (जनवरी 2020) ने कहा की यह मंत्रालय में विश्लेषण के अधीन महत्वपूर्ण विषय था।

उत्तर को इस तथ्य के प्रति देखे जाने की आवश्यकता है कि:

- (i) 30 चयनित लाइनों में से 18 में अधिकतम विद्युत् प्रवाह भी लाइनों की भारवाहक क्षमता के 40 प्रतिशत से कम था।
- (ii) उत्तर इंगित करता है कि प्रेषण लाइनों का क्रियान्वयन संबंधित उत्पादन परियोजनाओं की प्रगति के अनुरूप नहीं था जिससे क्षमता अवरुद्ध हुई।
- (iii) उत्तर ऐसी किन्हीं ठोस योजनाओं या प्रक्षेपित समय सीमा का वर्णन नहीं करता जिसमें बढ़ती विद्युत् मांग के कारण अतिरिक्त क्षमता का सर्वोत्तम उपयोग किया जाना संभावित है।

4.7.3 अन्तःराज्यीय/ डाउनस्ट्रीम नेटवर्क शुरू न किये जाने के कारण प्रेषण लाइनों/ सबस्टेशनों का अनुपयोग

एनईपी के अनुसार, केंद्रीय प्रेषण इकाई (सीटीयू) व राज्य प्रेषण इकाइयाँ (एसटीयूज़) प्रेषण प्रणाली की आयोजना व विकास के लिए उत्तरदायी हैं। इस प्रक्रिया में सीईए द्वारा तैयार किया गया एनईपी मार्गदर्शक दस्तावेज़ का काम करता है। सीटीयू राष्ट्रीय व क्षेत्रीय प्रेषण प्रणाली आयोजना तथा विकास हेतु उत्तरदायी है। एसटीयूज़ अंतर-राज्यीय प्रेषण प्रणाली की आयोजना व विकास हेतु उत्तरदायी हैं। सीटीयू को देश के लिए भली भाँती समन्वित प्रेषण योजना तैयार करने के लिए एसटीयूज़ और अन्य पणधारकों के साथ समन्वय करना होगा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि वर्तमान में सीटीयू के पास अंतर-राज्यीय व अन्तःराज्यीय प्रेषण प्रणालियों के समन्वय का कोई संस्थागत तंत्र नहीं था। विभिन्न एजेंसियों/ पणधारकों का समन्वय सीईए की स्थायी समिति व क्षेत्रीय विद्युत् समिति में चर्चाओं की प्रक्रिया द्वारा किया जा रहा था।

सीईआरसी द्वारा गठित अवरोध पर केंद्रीय परामर्शदाता समिति (सीएसी) की उप समिति ने अंतर-राज्यीय व अन्तःराज्यीय प्रेषण प्रणाली के बीच विसंगति का मामला उठाया और बेहतर समन्वय व विसंगति रोकने के लिए सीटीयू को देश में प्रेषण प्रणाली के संवर्धन पर सीईआरसी को त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। परन्तु सीटीयू ने इसका अनुपालन नहीं किया। सीईआरसी ने अन्य बातों के साथ साथ आगे कहा (26 मार्च 2018) कि समन्वय हेतु सीटीयू तथा

सीईए द्वारा की गयी करवाई संगत राज्य नेटवर्क के विकास में वांछित परिणाम नहीं ला रहे थे। सीईआरसी ने पुनः (26 मार्च 2018) विसंगति के मामलों में सीटीयू को सीईआरसी तथा सीईए के समक्ष छमाही अपवाद रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। ऐसी पहली अपवाद रिपोर्ट लगभग 11 महीनों के बाद 13 फरवरी 2019 को सीईआरसी को प्रस्तुत की गयी।

अभिलेखों के समीक्षा से निम्नलिखित पता चला:

(i) 18 चयनित परियोजनाओं में से पीजीसीआईएल द्वारा क्रियान्वित की गयी दो⁴⁸ परियोजनाओं में कुछ प्रेषण उपकरण सम्बद्ध नेटवर्क का निर्माण पूरा न होने या राज्यों द्वारा अपस्ट्रीम/ डाउनस्ट्रीम नेटवर्क के क्रियान्वयन में विसंगति के कारण उपयोग में नहीं लाये जा सके। तदनुसार, सीईआरसी ने संबंधित नेटवर्क के पूरा न करने या विसंगति के कारण पीजीसीआईएल द्वारा दावा की गयी वास्तविक वाणिज्यिक प्रचालन तिथि का अनुमोदन करने से मना कर दिया और इन उपकरणों को क्रियान्वित करने के बावजूद पीजीसीआईएल को इनके लिए कोई प्रशुल्क भी प्रदान नहीं किया।

(ii) प्रेषण प्रणाली में अवरोध की जांच करने हेतु सीईआरसी (जनवरी 2015) द्वारा गठित उपसमिति की बैठक में, पोसोको ने 18 चयनित परियोजनाओं में से तीन परियोजनाओं के चार⁴⁹ सब-स्टेशनों पर मूलभूत नेटवर्क⁵⁰ की अनुपलब्धता का मामला उजागर किया था जिससे लाइनों की प्रेषण क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। पोसोको ने अपने प्रचालन फीडबैक (अप्रैल 2017) में पुनः कहा के तीन सब-स्टेशनों (यथा भिवानी, कुरुक्षेत्र व चित्तोडगढ) में, जिनमे से भिवानी सब-स्टेशन के बारे में उन्होंने जनवरी 2015 में बताया था, इनमे मूलभूत नेटवर्क की अनुपलब्धता व इनमे संबंधित राज्यों द्वारा यह कार्य पूरा न करने के कारण ये प्रणाली में प्रेषण कठिनाइयों के लिए उत्तरदायी थे।

अतः यह देखा जा सकता है कि डाउनस्ट्रीम नेटवर्क शुरू ना करने के कारण अंतर-राज्यीय प्रेषण लाइनों/ सब-स्टेशनों के अनुपयोग के मामले हुए, जिनके कारण सम्बद्ध या डाउनस्ट्रीम/ अपस्ट्रीम नेटवर्क शुरू किये जाने तक निष्क्रिय निवेश हुआ। इस स्थिति ने अबाध विद्युत् प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जैसा कि पोसोको ने समय समय पर उजागर किया। लेखापरीक्षा का मत है कि सीटीयू की भूमिका में पीजीसीआईएल को अन्तःराज्यीय/ डाउनस्ट्रीम प्रेषण नेटवर्क के शुरु

⁴⁸ पड़गो-कुदुस 400 केवी प्रेषण लाइन व 02 400/ 220 केवी, 500एमवीए आईसीटी तथा कुरुक्षेत्र स्थित 08 220केवी बेज

⁴⁹ (1) भिवानी, (2) शोलापुर (पीजी), (3) पुणे तथा (4) औरंगाबाद (पीजी)

⁵⁰ अंतर्संबंधित अन्तःराज्यीय नेटवर्क

न किये जाने के कारण अंतर-राज्यीय प्रेषण प्रणाली के अनुपयोग को रोकने के लिए प्रेषण प्रणाली की समन्वित आयोजना व निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु सक्रिय कदम उठाने चाहिए थे।

प्रबंधन ने कहा (जनवरी 2019) कि अवरोध पर सीईआरसी द्वारा गठित उपसमिति की सिफारिशों परामर्श प्रकृति की थी और इन्हें सीईआरसी ने अपने आदेश दिनांक 26 मार्च 2018 में स्वीकृत किया था। मंत्रालय ने आगे कहा (जून 2019) कि अंतर-राज्यीय प्रेषण नेटवर्क के अन्तःराज्यीय प्रेषण नेटवर्क के साथ विसंगति के मामलों में छमाही अपवाद रिपोर्टिंग अब सीईए तथा सीईआरसी को भेज दी गयीं हैं।

प्रबंधन का उत्तर इस तथ्य के प्रति देखा जाना है कि सीईआरसी ने अपने आदेश दिनांक 26 मार्च 2018 में अन्य बातों के साथ साथ यह भी कहा था कि सीटीयू व सीईए द्वारा की गयी कारवाई ने संगत राज्य नेटवर्क के विकास में वंचित परिणाम नहीं दिए थे। यद्यपि सीटीयू ने विसंगति के मामले में सीईए/ सीईआरसी को विलंबित छमाही अपवाद रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, तथापि सीटीयू/ पीजीसीआईएल इन विसंगतियों का समाधान करने के लिए सक्रिय कारवाई भी करें क्योंकि सीईआरसी ने मूलभूत नेटवर्क के शुरू न करने के मामले में पीजीसीआईएल को प्रशुल्क भुगतान अस्वीकृत किया था जैसा कि ऊपर चर्चा की गयी है।